छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर

//अधिसूचना//

नवा रायपुर, दिनांक 22 मई, 2021

क्रमांक एफ 20-01/2019/11/(6) चूंकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव राज्य शासन एतद् द्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 31.10.2019 के द्वारा जारी छत्तीसगढ़ राज्य की **"औद्योगिक नीति - 2019-24"** में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :-

<u>संशोधन</u>

(एक) उक्त अधिसूचना के के बिन्दु क्रमांक-15.1 में वर्णित तालिका के अनुक्रमांक-2 के कॉलम-2 में वर्णित **"स्थायी पूंजी लागत अनुदान (सूक्ष्म उद्योगों हेतु)"** को ***"स्थायी पूंजी लागत अनुदान (सूक्ष्म एवं लघु तथा मध्यम उद्योगों हेतु)"*** पढ़ा जावे।

(दो) उक्त अधिसूचना द्वारा जारी औद्योगिक नीति 2019-24 के परिशिष्ट-3 के अंतर्गत प्राथमिकता उद्योगों की सूची में (अ) वर्गीकरण के आधार पर - के **"अनुक्रमांक-10"** में वर्णित **"मेडिकल एवं लेबोरेटरी इक्यूपमेंट"** को **"विलोपित"** करते हुए इसे परिशिष्ट - 2 के अंतर्गत उच्च प्राथमिकता उद्योगों की सूची में **"अनुक्रमांक-18"** पर **"मेडिकल एवं लेबोरेटरी इक्यूपमेंट"** का समावेश किया जाता है।

(तीन) उक्त अधिसूचना द्वारा जारी औद्योगिक नीति 2019-24 के परिशिष्ट-2 के अंतर्गत उच्च प्राथमिकता उद्योगों की सूची में **"अनुक्रमांक-18"** के पश्चात् अनुक्रमांक 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 एवं 27 के रूप में निम्नानुसार नवीन वस्तुओं का समावेश किया जाता है :-

अनुक्रमांक-19 - मेडिकल ग्रेड आक्सीजन गैस (लिक्विड एवं गैसीयस माध्यम से)
अनुक्रमांक-20 - आक्सीजन गैस सिलेण्डर,
अनुक्रमांक-21 - आक्सीजन कन्सनट्रेटर,
अनुक्रमांक-22 - क्रायोजेनिक गैस टेंकर,
अनुक्रमांक-23 - फेस मास्क, नॉन रिब्रिदर मास्क, आक्सीजन फ्लो मीटर, नेसल केन्यूला आदि,
अनुक्रमांक-24 - नॉन इन्वेसीव वेन्टिलेटर, इन्वेसीव वेन्टिलेटर,
अनुक्रमांक-25 - सर्जिकल दस्ताने, पी पी ई किट, ओवर ऑल बॉडी प्रोटेक्टर,

अनुक्रमांक 26 – कोविड व अन्य संक्रामक बीमारियों के टेस्ट में उपयोग में लाये जाने वाले उपकरण, फॉर्मास्युटिकल्स, बीमारियों से संबंधित से संबंधित स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी उपकरण एवं दवाएं।

अनुक्रमांक 27 – टीका बनाने के उपकरण, RT-PCR Test, True-nat Test, Antigen Test, के लिए आवश्यक Reagents.

उपरोक्त सभी संशोधन इस अधिसूचना के जारी होने की दिनांक से प्रवृत्त हुये समझे जावेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मनोज कुमार पिंगुआ)
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

पृष्ठा. क्र. एफ 20-01/2019/11/(6) नवा रायपुर, दिनांक 22 मई, 2021

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, समस्त विभाग मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय छत्तीसगढ़, रायपुर
3. प्रबंध संचालक, सी.एस.आई.डी.सी. उद्योग भवन, रायपुर
4. नियंत्रक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, छत्तीसगढ़ राजनांदगांव की ओर अग्रेषित कर निवेदन है कि उपर्युक्त अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र के आगामी अंक में मुद्रित करवाकर 250 प्रतियां इस विभाग को कृपया उपलब्ध करायें।
5. मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र ....(छत्तीसगढ़)

27 MAY 2021

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग